

(11)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर
वित्त (नियम) विभाग, मुख्यालय

क्रमांक:-एफ-4 / वित्त / नियम / 172 / 2015 / 11102

दिनांक 18.11.2015

परिपत्र

कतिपय इकाईयों द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया है कि दिनांक 20.1.2006 एवं इसके पश्चात फिक्स पारिश्रमिक पर नियुक्त पारिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशर ट्रेनी) को पुनरीक्षित वेतनमान विनियम, 2008 के अन्तर्गत निश्चित वृत्ति बढाव (ACP) का लाभ देय है अथवा नहीं ।

इस सम्बन्ध में समस्त इकाई प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि रा.रा. प.प. निगम पुनरीक्षित वेतनमान विनियम, 2008 के विनियम संख्या-19 के अन्तर्गत देय निश्चित वृत्ति बढाव योजना (ACP) का लाभ दिनांक 20.1.2006 एवं इसके पश्चात फिक्स पारिश्रमिक पर नियुक्त पारिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशर ट्रेनी) को भी देय है ।

(जी.डी.व्यास)

वित्तीय सलाहकार

क्रमांक:-एफ-4 / वित्त / नियम / 172 / 2015 / 11102

दिनांक 18.11.2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव, अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक रा.रा.प.प. निगम मु० जयपुर ।
- 2- कार्यकारी निदेशक () रा.रा.प.प. निगम मु० जयपुर ।
- 3- महा प्रबन्धक () रा.रा.प.प. निगम मु० जयपुर ।
- 4- उप महा प्रबन्धक () कार्यकारी प्रबन्धक () रा.प.नि० मु० जयपुर
- 5- उप महा प्रबन्धक (आई.टी.) निगम के वित्त विभाग की वेबसाईट पर अप लोड करावें ।
- 6- निगम सचिव, राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय, जयपुर
- 7- मुख्य उत्पादन प्रबन्धक / लेखाधिकारी के०का० -----
- 8- मुख्य प्रबन्धक / प्रबन्धक (वित्त) रा.रा.प.प. निगम -----
- 9- सहायक लेखाधिकारी () रा.रा.प.प. निगम मु० जयपुर ।
- 10- रक्षित पत्रावली ।

(श्रीराम मोना)

महा प्रबन्धक (वित्त-नियम)

7/10/15
2-1/11/15